उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।
(श्रम अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़)

–:अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना:–

विज्ञापन संख्या:–01 / 2015

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के हितार्थ रामगढ़ जिला अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओ के संचालन हेतु प्रपत्र की छपाई एवं निम्न वर्णित सामग्रियों की आवश्यकता है।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	साईज
1	रजिस्टर	12नं0 एवं 13 नं0
2	हरा रंग का परिचय पत्र कार्ड बोर्ड की छपाई	4"x6"
3	लाल रंग का परिचय पत्र कार्ड बोर्ड की छपाई	4"x6"
4	प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र	¼ साईज में दोनो तरफ मुद्रण
5	पम्पलेट (पीला / गुलाबी रंग में)	¼ साईज में एक तरफ मुद्रण
6	प्रवासी मजदूरों से संबंधित लाइसेंस हेतु प्रपत्र	¼ साईज में एक तरफ मुद्रण

उक्त सामग्रियों की आपूर्ति एवं प्रपत्र की छपाई हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक– 02.01.2016 को अपराहन 03:30 बजे तक अल्पकालीन निविदा मुहर बंद लिफाफे में श्रम अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़ में आमंत्रित किया जायेगा तथा निविदा को दिनांक– 04.01.2016 को अपराहन 12:30 बजे तक उपायुक्त का कार्यालय, रामगढ़ में खोला जायेगा।

निविदा की शर्त्ते

तकनीकि बीड

1. निविदादाताओं को आयकर का अद्यतन (वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15) का रिटर्न, स्वच्छता प्रमाण पत्र निबंधन प्रमाण पत्र एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाताओं को वाणिज्य कर विभाग से निबंधन (टिन नं0) एवं स्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में प्रतिभूति राशि 10,000/– (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, रामगढ़ के नाम पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय बीड

1. निविदादाताओं को उपरोक्त वर्णित सामग्रियों का दर अंकित कर बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा समर्पित कर देने के बाद प्रस्तुत कोई दर मान्य नहीं होगा।

अन्य शर्ते

1. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में रखकर दोनों को एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर उपायुक्त, रामगढ़ के पदनाम से दिनांक 2/1/16 को अपराहन 3:30 बजे तक श्रम अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़ में जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगा।
2. तकनीकी बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
3. निविदादाताओं को कार्यादेश प्राप्त होने के उपरान्त 10(दस) दिनों के अन्दर उक्त सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के अंतिम निस्तार के पश्चात् स्वीकृत निविदा को छोड़कर शेष प्रतिपूर्त्ति अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
5. सामग्रियों का क्रय आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
6. किसी भी निविदादाता को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/दर वार्त्ता (Negotiation) करने का अधिकार उपायुक्त, रामगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।

[signature] 1/12/15
उपायुक्त
रामगढ़।

[signature] 1/12/15

श्रम अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़।

ज्ञापांक –

रामगढ़, दिनांक –

प्रतिलिपि – जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। आग्रह है कि प्रवासी मजदूर के अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना से संबंधित निविदा की शर्तें आपके आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

[signature] 1/12/15
श्रम अधीक्षक,
रामगढ़।